प्रेस विज्ञप्ति

08.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आँचलिक कार्यालय ने 06.11.2024 को भोपाल में 4 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान मेसर्स एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त धनराशि का डायवर्जन करके कथित रूप से किए गए बैंक धोखाधड़ी के संबंध में चलाया गया है। कंपनी ने धनराशि को अपनी सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया था, जिससे बैंक को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला कि उक्त कंपनी ने 2014 में बैंक ऑफ इंडिया से 42 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की थी। 2017 तक, खाता एनपीए हो गया। इसके अलावा, 2019 में, कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया को मेसर्स एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी मेसर्स माई कार (भोपाल) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कुछ संपत्तियों को पहले से गिरवी रखने के बारे में भी सूचित किया, जबकि उक्त गिरवी रखी गई संपत्तियों को मेसर्स एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के पास भी गिरवी रखा गया था। तदनुसार, बैंक ऑफ इंडिया ने इसको धोखाधड़ी वाला खाता घोषित किया और आरबीआई को इसकी सूचना दी।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि मेसर्स एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी सहयोगी कंपनियों को धन हस्तांतरित किया गया और अपनी सहयोगी कंपनियों के विक्रेताओं को भुगतान करने और अन्य एनबीएफसी आदि के ऋणों के पुनर्भुगतान में उपयोग किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, 85 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के हीरे/सोने के आभूषण, 25 लाख रुपये (लगभग) की नकदी जब्त की गई है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।